

प्राथमिक सेवा रिपोर्ट-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

पार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शंकर न मं अ नि नेहन्दुरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर तहसीलदार की अनुपरा के आधार पर राजस्थान मू-राज्य अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दसगाजेरी तहसील रेलमगर जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 62 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्थान रिपोर्ट में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं - मंजु उत्री श्रीमल जाट

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)
1	<u>दसगाजेरी</u>	<u>62</u>	<u>SBBJ झाला राजपुरा वरीका</u>	<u>SBJ राजा राजपुरा वरीका</u>

सहायक कलक्टर
पीठासीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - राजस्व/2025/125
प्रतिलिपि -

दिनांक - 03.10.25

1. तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री शंकर को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर